

25/02  
2020

पञ्जावली पेश हुई उभय पक्ष आवेदन/उपस्थित  
वहस सुनी दोनों आवेदन/ इस बात पर  
सदमत हुए कि रेकार्ड एवं नोके भी प्रशासित  
व्यवस्था रखे जाई करदर रहे वय लागू  
न हो।

पञ्जावली में आवेदन को भी वहस एवं रेकार्ड  
का कवलीकरण करके से ज्ञाय कि प्राची  
मुकेश s/o वन्शीलाल पाराशर अपने पिता प्रतिवादी  
सरका। श्री वन्शीलाल काका शंकर लाल पाराशर  
से पिता के जीवकाल में ही अपना हिस्सा लेना  
चाहता है, पञ्जावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार  
प्राचीन पत्र में वर्णित प्राची भी पेश करके  
है, जिससे सुविधा का संतुलन प्राची के पक्ष में  
तथा प्राची का प्रकरण प्रथम प्रत्यक्ष साबित हो  
प्राची को अपूर्णता जति होने भी सम्भावना है  
जिससे प्राचीन पत्र स्वीकार किया जाना उचित  
है। उक्त प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्वीकार  
कर आदेश दिया जाता है कि 558 नो. नं.  
श्री आराजी नम्बर 4973/1370 संख्या 0.05 हेक्टर  
प्राची के रेकार्ड एवं नोके भी प्रशासित व्यवस्था  
रखे किसी तरह से रहे वय लागू नही करे  
तथा विपक्षी सरका 2 किसी तरह का निर्माण नही

तारीख हुकम	प्र० सं० 110/2013 (2013/00163) हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	---

कारे न स्वयं करे क कन्च से कारावे क  
 टाफेसल मूल काड के विस्तार तक विपरीत  
 सरन। से 4 रेकार्ड एवं ओके की मन्नासके दिवस  
 रथे, पडावली फेसल शुमार होकर नखर से  
 काम हो।



(सुन्दरलाल चम्कोड़ा)  
 RAS  
 सहायक कलक्टर (सामान्य प्रशासन)  
 बतपुर (बीलवाडा)

